रांची में आदिवासी कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान न किया जाना

611. **श्री सुशील चन्द मोहन्ता :**
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या श्रम मंत्री 23 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2923 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन ठेकेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और श्रम कानूनों के तहत पुलिस में मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया;

(ख) ऐसे सभी ठेकेदारों पर उन मजदूरों की जिन्हें कम मजदूरी दी गई थी कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) क्या उन मजदूरों की भविष्य निधि का पैसा जमा कर दिया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे और इस मद में कितनी राशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भविष्य निधि के मामले

612. **श्री सुशील चन्द मोहन्ता :** क्या श्रम मंत्री 16 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में ,तारांकित प्रश्न 2029 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस अवधि के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के तहत, राज्यवार भविष्य निधि के कितने-कितने मामले किस-किस स्तर की अदालत में दायर किए गए, कितने वापस लिए गए, कितने खारिज हो गए, कितनों में सुलह हो गई और कितनों में वकील छोड़ कर चले गए; और

(ख) क्या यह सच है कि फीस की राशि कम रहने और समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अधिवक्ता बीच में ही केस छोड कर चले जाते हैं, यदि नहीं, तो उनके द्वारा बीच में ही केस ,छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 क ग की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट है, अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत अपराधों के सभी मामलों पर प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट केन्द्र में विचार किया जाता है । वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन इन न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। नीचे देखिये खारिज किए गए निस्सारण किए गए, वापिस लिए गए मामलों और जिनमें वकील ने बहस करना छोड दिया था, उन मामलों की संख्या निम्नानुसार थी —

खारिज किए गए/निस्सारण किए गए मामलों की संख्या	940
वापिस लिए गए मामलो की संख्या	919
उन मामलों की संख्या जिनमें वकीलों ने बहस करना छोड दिया था	34

(ख) जी, नहीं । एक एडवोकेट, जिसे दिल्ली क्षेत्र के 223 मामले सौंपे गए थे, ने इन मामलों की बीच में ही बहस करना छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका चैम्बर तीस हजारी कोर्ट में था और उसे पटियाला हाऊस न्यायालय में मामलों की पैरवी करने में असुविधा होती थी। उड़ीसा क्षेत्र में, एक एडवोकेट, जिसके पास 11 मामले थे, को उड़ीसा उच्च न्यायालय में जज के रूप में तरक्की हो जाने पर बीच में ही इनको छोड़ना पड़ा ।

विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन चलाए गए अभियोजनों की संख्या	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन चलाए गए अभियोजनों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	827	22
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	23	—
3	बिहार	228	20
4	दिल्ली	473	36
5	गुजरात	607	13
6	हरियाणा	1116	65
7	कर्नाटक	1222	9
8	केरल	1157	7
9	मध्य प्रदेश	336	15
10	महाराष्ट्र	4018	702
11	उड़ीसा	499	—
12.	पंजाब	1044	2
13	राजस्थान	87	27
14	तमिलनाडु	1328	—
15	उत्तर प्रदेश	825	5
16	पश्चिम बंगाल	7519	1156
	कुल :—	21309	2079

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं में धोखाधड़ी

613: **श्री सुशील चन्द्र मोहन्ता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में किस-किस भारतीय बैंक की शाखाओं में घोटाले और धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आए ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धन-राशि अन्तर्ग्रस्त थी, और

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा प्रणाली में भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाओं में स्थित हुई धोखाधड़ियों के मामलों की शाखा-वार/राशि-वार सूचना नहीं रखी जाती । अलबत्ता, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में हुई धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त कुल राशि के सम्बन्ध में, घटना की तारीख चाहे कुछ भी रही हो, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई बैंक-वार सूचना विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

1983

क्रम सं०	बैंक का नाम	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
1	बैंक आफ बड़ौदा	3	0.53
2	बैंक आफ इण्डिया	4	18.90